FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सतेन्द्र कुमार बनाम प्रकाश देवी आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 16 सन् 2024

जी.सी.एम.एस नम्बर 2024 / 386

मिल कम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.2024	प्रार्थी सतेन्द्र कुमार पुत्र परमानन्द जाति अरोडा निवासी मकान 85 सी ब्लॉक श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी, श्री जसप्रीत सिंह सैनी के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 18/1, किला नम्बर 18/2 के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे । **उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)** **श्री करणपुर**	पंजीकृत नोटिस जारी 512 16/12/24
30/05/25	आज यह पत्रावली पेशी मे ली गई। हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC को प्रस्तुत किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। **सहायक कलक्टर एवं पदेन** **उपखण्ड अधिकारी** **श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)**	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)